(126) (126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 763–दो/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–2–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 193/निग./2008–09.

विपश्यना इन्टरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट इंदौर
तर्फे अध्यक्ष रमेशचन्द्र पिता किशनलाल अग्रवाल
ऑफिस 91 इमली बाजार इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री बी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/6/2012 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–2–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक विपश्यना इन्टरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 172 (1) के अन्तर्गत आवेदक संस्था के स्वत्व एवं स्वामित्व की ग्राम जम्बुडी हप्सी तहसील इंदौर स्थित सर्वे कमांक 134/1, 134/2 एवं 134/3 कुल रकबा 6.30 एकड़ कृषि भूमि का ध्यान योग केन्द्र प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 176/अ–2/06–07 दर्ज कर दिनांक 7–6–07 को आदेश पारित कर आवेदक संस्था की उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन का आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, इंदौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19–3–08 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई ।

अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–2–09 को आदेश पारित कर निगरानी अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत मय शपथ पत्र के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का स्पष्ट कारण दर्शाया गया था कि संस्था के अध्यक्ष ब्लड प्रेशर एवं हायपरटेंशन से दिनांक 15–3–2008 से पीड़ित होने के कारण उनके ठीक होने पर दिनांक 10–7–2008 को जांच करने पर उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई । जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा तत्काल दिनांक 11–7–2008 को अपर कलेक्टर के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, और दिनांक 6–8–2008 को आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अविलम्ब दिनांक 19–8–2008 को निगरानी प्रस्तुत कर दी गई थी । इस आधार पर कहा गया कि विलम्ब का कारण समाधान कारक होने के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा निगरानी अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) आवेदक संस्था एक सार्वजनिक ट्रस्ट होकर उसका उद्देश्य प्राचीन भारत के सफल साधना पद्धति से होकर लोगों के जन कल्याण हेतु है, और उक्त जन कल्याण कार्य संस्था दान, अनुदान, चंदा अथवा लेख हुण्डी इत्यादि के आय से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करती है ।

(3) ग्राम निवेश द्वारा अपने स्वीकृत नक्शे में बिल्टअप एरिया 7080 मीटर का 33 प्रतिशत निर्माण कार्य होना है तथा शेष खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण जन मन विद्युत डेनेज का विकास संस्था द्वारा किया जायेगा ।

(4) संरपंच ग्राम पंचायत जम्बुडी हप्सी के द्वारा केवल 24000 वर्गफीट का नक्शा स्वीकृत किया गया है, और उसी के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है, शेष भूमि पर पेड़–पौधे लगे होकर कृषि भूमि के रूप में है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर पुनः स्थल निरीक्षण कर, विधिवत प्रश्नाधीन भूमि में से 24000 वर्गफीट के सम्बंध में दिनांक 7–6–07 से

व्यपवर्तन आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

तर्कों के समर्थन में 2010 (3) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 351, 2012 (1) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 93 एवं 2010 (4) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 49 एवं 1999 आर.एन. 202 के न्यायं दृष्टांत प्रस्तुत किये गये

5/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संस्था द्वारा जितनी भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उतनी भूमि ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तित की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, और विलम्ब का कारण आवेदक संस्था के अध्यक्ष का ब्लड प्रेशर एवं हायपरटेंशन से पीड़ित होना बतलाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है, क्योंकि यदि आवेदक संस्था के अध्यक्ष अस्वस्थ थे, तब उन्हें वकील के माध्यम से समय पर निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए थी । अतः अपर आयुक्त द्वारा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक संस्था द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 19–3–08 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 19–8–08 को लगभग चार माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण आवेदक संस्था के अध्यक्ष का ब्लड प्रेशर एवं हायपरटेंशन पीड़त होना दर्शाया गया है । इस सम्बंध में 2012 (1) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 93 सालिकराम एवं अन्य विरूद्ध केशव एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है "यदि विलम्ब के लिए कोई कारण बतलाया जा रहा है तो न्यायालय को उसे स्वीकार करना चाहिए ओर केवल विलम्ब के कारण अथवा तकनीकी आधार पर अपील निरस्त नहीं करना चाहिए ।" इसी प्रकार 2010 (4) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 49 बंशीधर गोयनका विरूद्ध आलोक कुमार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "विलम्ब की माफी के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिए ।" अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा चार माह का विलम्ब

क्षमा नही करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक प्रकरण के गुण–दोष का प्रश्न है, आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तर्क में केवल यही आधार लिया जा रहा है कि उनके द्वारा मात्र 24000 वर्गफीट भूमि का ही कृषि भिन्न प्रयोजन ध्यान योग केन्द्र के लिए उपयोग किया जा रहा है, शेष भूमि पर पौधे एवं वृक्ष खड़े हैं, जो कि संहिता की धारा 2 के अन्तर्गत कृषि भूमि की परिभाषा में आती है । अतः केवल 24000 वर्गफीट भूमि का ही दिनांक 7–6–07 से व्यपवर्तित किया जाये । आवेदक संस्था की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आधार के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित करें कि वास्तव में आवेदक संस्था द्वारा उनके स्वामित्व की कितनी भूमि का कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, और कितनी भूमि वास्तव में कृषि भूमि है । तद्नुसार कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही भूमि के सम्बंध में दिनांक 7–6–07 से व्यपवर्तन आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–07, अपर कलेक्टर, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–08 एवं अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–2–09 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर व्यपवर्तन आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर